झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा | पंचम् (बजट) सत्र

संख्या-01 | शुक्रवार, दिनांक-26, फरवरी 2021 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 1.07 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.प्रारंभिक वक्तव्य:-

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पंचम् झारखण्ड विधान सभा के पंचम् (बजट) सत्र के अवसर पर सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करते हुए शुभकामनायें दी गयी। इस बजट सत्र में माननीय राज्यपाल महोदया अपने संवैधानिक दायित्वों को पुरा करने के निमित्त सदन को सम्बोधित करेंगी। सदियों से स्थापित संसदीय परम्परा के अनुसार सभा में माननीय राज्यपाल के अभिभाषण को अत्यंत गरिमा एवं प्रतिष्ठा का अवसर माना जाता है जिसे देखते हुए सभा के माननीय सदस्यों से अनुशासन एवं शालीनता के सिद्धांतों के अनुपालन करते हुए सभा में व्यवस्था बनाये रखने की अपेक्षा आसन द्वारा की गयी। पूरे देश में लॉकडाउन होने के कारण पिछला बजट सत्र सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यकतानुसार ही चल पाया। वर्त्तमान बजट सत्र में कुल-16 बैठकों में निर्धारित कार्यक्रमों की खाका से सदन को अवगत कराया गया एवं दिनांक-05 फरवरी, 2021 को श्री हफीजुल हसन, जो सरकार में नये मंत्री के रूप में शामिल हुए है उनका आसन द्वारा स्वागत किया गया। इसके उपरांत आसन द्वारा माननीय राज्यपाल महोदया से प्राप्त निम्न संदेश को पढ़ा गया-

"भारत का संविधान के अनुच्छेद-176 के खण्ड(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मै, द्रौपदी मुर्मू, झारखण्ड की राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड विधान सभा को दिनांक-26फरवरी, 2021 को 11.30 बजे पूर्वा० मे सम्बोधित करना चाहती हूँ और इस हेतु झारखण्ड विधान सभा के सभा वेश्म, राँची में सदस्यों की उपस्थिति चाहती हूँ।"

ह०/-द्रौपदी मुर्मू

राँची, दिनांक-05 फरवरी, 2021 | झारखण्ड की राज्यपाल

इसके उपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय राज्यपाल महोदया की अगवानी के लिए सदन से कुछ क्षण के लिए बाहर गये और इस दौरान सदन में माननीय सदस्यों से शांति बनाये रखने हेतु उन्होंने आग्रह किया। साथ ही इस दौरान किसी माननीय सदस्य के सदन से बाहर जाने एवं सदन के अन्दर न आने का भी अनुरोध किया।

इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदया को लेकर माननीय अध्यक्ष महोदय सदन में आये।

(राष्ट्रीय धुन)

तदुपरांत आसन के निदेश पर सभा सचिव द्वारा माननीय राज्यपाल महोदया से सदन में अपना अभिभाषण दिये जाने हेतु आग्रह किया गया।

2.राज्यपाल महोदया का अभिभाषण:-

सभा सचिव द्वारा राज्यपाल महोदया से अभिभाषण दिये जाने हेतु अनुरोध किये जाने के उपरांत राज्यपाल महोदया ने सर्वप्रथम पंचम् झारखण्ड विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों एवं समस्त झारखण्डवासियों को इस बजट सत्र के अवसर पर शुभकामनायें दी। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए माननीय सदस्यों के कर्तव्य निर्वहन, सजगता एवं तत्परता की सराहना की। उनके द्वारा आशा व्यक्त की गयी कि सभी माननीय सदस्य राज्य के सर्वांगीण विकास से सम्बन्धित मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से रखकर प्रदेश की समृद्धि में अपना सक्रिय सहयोग देंगे। माननीय राज्यपाल महोदया ने हर्ष के साथ माननीय सदस्यों के सम्मिलित प्रयासों का जिक्र करते हुए इसके प्रतिफल से सरकार द्वारा जनहित के मुद्दों पर लिये गये निर्णयों का विस्तार से उल्लेख करते हुए कहा कि विकास मूलमंत्र एवं आधार लोकतंत्र को वर्तमान सरकार ने आत्मसात किया है।

भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति, राज्य की औद्योगिक ईकाईयों के उत्पादन में निरंतर वृद्धि का लक्ष्य, मुख्यमंत्री दाल-भात योजना, सभी जिलों को एक्सपर्ट हब के रूप में विकसित किये जाने की योजना, नवीकरणीय ऊर्जा की महत्ता को देखते हुए गिरिडीह शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना, फूलो-झानो आशीर्वाद अभियान, फसल ऋण माफी योजना, उद्यान विकास योजना, मीठी क्रांति, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, धान अधिप्राप्ति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सोना-सोबरन, धोती-साड़ी-लुंगी वितरण योजना, मुख्यंत्री नल जल योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मरड् गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना एवं झारखण्ड खेलनीति जैसी महत्त्वपूर्ण सरकारी योजनाओं का उल्लेख अपने अभिभाषण में माननीय राज्यपाल महोदया ने किया। इसके उपरांत उन्होंने विधानमण्डल के वर्तमान सत्र में प्रस्तुत होनेवाले वित्तीय वर्ष-2021-22 के आय-व्ययक को पारित करने एवं सदन की उच्च गरिमा तथा पवित्रता को अक्षुण्ण बनाये रखने की अपेक्षा की।

इसके पश्चात् अभिभाषण समाप्ति की सूचना सभा सचिव द्वारा दी गयी।

(राष्ट्रीय धुन)

तदुपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय राज्यपाल महोदया को ससम्मान विदा किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के संदर्भ में धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधनों की सूचना आज दिनांक-26.02.2021 के 3.00 बजे अप० तक ही लिये जाने की घोषणा आसन द्वारा की गयी। सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक दल की ओर से विधायक दल के नेता अथवा उनके द्वारा

क्र०पृ०उ०

प्राधिकृत कोई एक सदस्य इस संशोधन की सूचना दे सकेंगे, के संदर्भ में भी सदन को आसन द्वारा अवगत कराते हुए उक्त नियमन के अनुपालन हेतु अनुरोध किया गया।

3.सभापति का मनोनयन:-

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-10 (1) के अधीन निम्नांकित माननीय सदस्यों को पंचम् झारखण्ड विधान सभा मे पंचम् (बजट) सत्र के लिए सभापति के रूप में मनोनीत करने की घोषणा आसन द्वारा की गयी-

श्री स्टीफेन मराण्डी,	स० वि० स०
श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी,	स० वि० स०
श्रीमती सीता मुर्मू,	स० वि० स०
श्री बिरंची नारायण,	स० वि० स०
श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी,	स० वि० स०।

4. कार्य-मंत्रणा समिति का गठन:-

आसन द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-224(1) के तहत पंचम् झारखण्ड विधान सभा के पंचम् (बजट) सत्र के निमित्त कार्य-मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार से किया गया-

श्री रबीन्द्रनाथ महतो	अध्यक्ष	सभापति
श्री हेमन्त सोरेन	मुख्यमंत्री	सदस्य
श्री आलमगीर आलम	संसदीय कार्य मंत्री	सदस्य
श्री सत्यानन्द भोक्ता	मंत्री	सदस्य
श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह	स०वि०स०	सदस्य
श्री सुदेश कुमार महतो	स०वि०स०	सदस्य
श्री सरयू राय	स०वि०स०	सदस्य।

विशेष आमंत्रित सदस्य

श्री चम्पाई सोरेन	मंत्री
डॉ० रामेश्वर उराँव	मंत्री
श्री स्टीफेन मराण्डी	स०वि०स०
श्री नलिन सोरेन	मुख्य सचेतक (सत्तारुढ़ दल)
श्री लोबिन हेम्ब्रम	स०वि०स०
श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा	स०वि०स०
श्री प्रदीप यादव	स०वि०स०
श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता	स०वि०स०
श्री विनोद कुमार सिंह	स०वि०स०
श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	स०वि०स०।

नियमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे। इसके उपरांत आसन द्वारा सदन को संसूचित किया गया कि सभा की

क्र०पृ०उ०

कार्यवाही के तुरंत बाद इस समिति की बैठक उनके कार्यालय कक्ष में होगी जिसमें सभी माननीय सदस्यों को उपस्थित होने हेतु अनुरोध किया गया।

5.औपचारिक कार्य:-

पुकारे जाने पर झारखण्ड विधान सभा के विगत सत्रों में उद्भूत एवं सभा द्वारा पारित विधेयकों की विवरणी सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखी गई जिसपर माननीय राज्यपाल महोदया ने अपनी अनुमति प्रदान की है तथा जिसकी सूचना चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के चतुर्दश (विशेष) सत्र की समाप्ति के उपरांत प्राप्त हुई है:-

माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा अनुमत विधेयक की विवरणी-

क्रमांक	अनुमत विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि	अधिनियम संख्या
1.	झारखण्ड खनिज धारित भूमि पर (कोविड-19 महामारी) उपकर विधेयक, 2020	07.11.2020	06/2020
2.	झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020	09.11.2020	07/2020
3.	झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020	07.11.2020	08/2020
4.	झारखण्ड राज्य भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) परिषद् विधेयक, 2020	19.11.2020	09/2020
5.	झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2020	11.12.2020	10/2020
6.	झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2020	11.12.2020	11/2020

6. कृत-कार्रवाई प्रतिवेदन का उपस्थापन:-

आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री आलमगीर आलम द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-244(2) के अधीन पंचम् झारखण्ड विधान सभा के तृतीय (मॉनसून) सत्र में विभिन्न विषयों पर सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों से सम्बन्धित कृत कार्रवाई प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर उपस्थापित की गयी।

7. शोक प्रकाश:-

विगत सत्र से अबतक की अवधि मे अनेक महत्त्वपूर्ण राजनेता, साहित्यकार, कलाकार, समाजसेवी, खिलाड़ी और आम नागरिक हमारे बीच से रुखसत हो गये जिनमें झारखण्ड के पूर्व राज्यपाल, एम० रामाजोईस, गिरिडीह के पूर्व सांसद तथा सिंदरी एवं टुण्डी के पूर्व विधायक-सांसद राजकिशोर महतो, पूर्व मंत्री अकलू राम महतो, काँग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, कलाकार सौमित्र चटर्जी, महान् फुटबॉलर माराडोना, गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरूण गोगोई, काँग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री माधवसिंह

क्र०पृ०उ०

सोलंकी, पूर्व केन्द्रीय मंत्री बूटा सिंह, पूर्व केन्द्रीय मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद, मांडर के पूर्व विधाक विश्वनाथ भगत, पूर्व विधायक ओम प्रकाश लाल, खगड़िया के पूर्व सांसद कामेश्वर प्रसाद, बथनाहा के भाजपा विधायक दिनकर राम, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री गणेश प्रसाद यादव, दादरा और नागर हवेली से सात बार सांसद रहे मोहन डेलकर, कॉंग्रेस के नेता एवं राँची के पूर्व विधायक देवदत्त साहू, पद्मश्री प्रो० दिगम्बर हांसदा, विद्वान प्रोफेसर कारू मांझी, उस्ताद गुलाम मुस्तफा, भजन गायक नरेन्द्र चंचल, झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, विक्रमादित्य प्रसाद के अतिरिक्त गाजियाबाद जिले में दाह संस्कार करते समय श्मशान घाट के छत गिर जाने के कारण 23 लोगों की मृत्यु तथा हजारीबाग जिले मे मिट्टी तेल लैम्प विस्फोट से मरे लोगों के प्रति आसन द्वारा श्रद्धा सुमन समर्पित की गयी तत्पश्चात् पुकारे जाने पर माननीय सदन नेता एवं मुख्यमंत्री, श्री हेमंत सोरेन, माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण, माननीय संसदीय कार्यमंत्री, श्री आलमगीर आलम, माननीय सदस्य, सर्वश्री प्रदीप यादव, सुदेश कुमार महतो, माननीय मंत्री, श्री सत्यानंद भोक्ता, माननीय सदस्य, सर्वश्री विनोद कुमार सिंह, सरयू राय एवं श्री अमित कुमार यादव ने भी इनके प्रति श्रद्धा सुमन निवेदित किया। इस क्रम में आसन द्वारा कार्यवाही पर्यन्त सभा का समय विस्तारित किया गया। श्रद्धासुमन अर्पण के उपरांत दो मिनट का मौन रखा गया।

इसके बाद सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक-01 मार्च, 2021 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,

दिनांक- 26 फरवरी, 2021 ई०।

महेन्द्र प्रसाद

सचिव,

झारखण्ड विधान सभा।